प्रकरण संख्या 72/2016 विठ्ठल बनाम विकास अधिकारी पं.सं. बागीदौरा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2019	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखकर उभयपक्षों की सहमति हुए बिना, जवाब लिये बिना तथा साक्ष्य लिये बिना वादी का वाद खारिज कर दिया, जो स्पष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होकर त्रुटि है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जवाबदावा लेकर, आवश्यकतानुसार तनकियात कायम कर, उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.03.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

<u>प्रकरण संख्या 72/2016 विठ्ठल बनाम विकास अधिकारी पं.सं. बागीदौरा</u>